न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

वादपत्र संख्या 09/2014
अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

श्रीमती बालीबाई आत्मजा श्री देवाराम, नायक, गांव दुल्लापुरकेरी तहसील व जिला हनुमानगढ.

.....वादिया

बनाम

1. भंवरलाल,
2. सोहनलाल,
3. रामचन्द्र,
4. श्रीमती सीता आत्मजन श्री टोपनदास, नायक, दुल्लापुरकेरी
5. लक्षमण आत्मज देवाराम, नायक, दुल्लापुरकेरी,
6. श्रीमती खेमी धर्मपत्नी श्री खेमाराम, नायक, दुल्लापुरकेरी,
7. राज्य सराकर द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर
8. श्रीमती किरण धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश, नायक, दुल्लापुरकेरी,
9. श्यामलाल आत्मज श्री नत्थूराम, दुल्लापुरकेरी

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री नरेशकुमार गाबा (वादिया)
श्री इन्द्रजीत बिश्नोई (प्रतिवादी–1से3,5)
श्री सुभाष मिढ्ढा (प्रतिवादी–6)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–7)

दिनांक 6 सितम्बर, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 5 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादिया संख्या 1 से 4 के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादिया संख्या 5 के नाम पर 1.645 हैक्टर एवं प्रतिवादिया संख्या 6 के नाम पर 1.518 हैकटर कृषि भूमि संयुक्त रूप से दर्ज है. वादिया उक्त कृषि भूमि के संयुक्त खाता में सहखातेदार होने के कारण विभाजन करवाने एवं अपने हिस्सा की किलावाईज कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 लालचवश अच्छी कृषि भूमि को हड़प करना चाहते हैं वादिया को अपनी पैतृक कृषि भूमि के 1.581 हैक्टर का विभाजन करवाने एवं अपने हिस्सा की किलावाईज कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है. वादिया द्वारा कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे उक्त कृषि भूमि का खाता विभाजन अच्छी से अच्छी एवं माड़ी से माड़ी की दर से किलावाईज विभाजन करवाकर उसके हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा देवे. लेकिन उनके द्वारा हमेशा ही टालमटोल करते

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

हुऐ दिनांक 25 जवरी, 2014 को साफ इन्कार हो गये. इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. इस प्रकार वादिया द्वारा राजस्व अभिलेखों में उसके नाम पर दर्ज कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी एवं माड़ी से माड़ी की दर से विभाजन किया जाकर वादिया के हिस्सा की कृषि भूमि का किलावाईज कब्जा स्थापित करवाने, वादिया को खातेदार घोषित किये जाने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5, 6 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 4 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 23 मई, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर नियमानुसार रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामताः आदेश दिनांक 8 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 7 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार राज द्वारा उपस्थित आकर जवाब वादपत्र दिनांक 2 मार्च, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्यहित को ध्यान में रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 23 मई, 2014 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वर्णित कृषि भूमि संयुक्त खाता की है तथा वादिया विभाजन करवाने की अधिकारिणी है, कौन से किलों का कब्जा प्राप्त करना चाहती है, का उल्लेख न होने के कारण टिप्पणी अपेक्षित नहीं है. प्रतिवादीगण के मन में कोई लालच नहीं है. प्रतिवादी अपने क्रयशुदा कृषि भूमि चक 5 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 19 से 24 कुल 6.00 बीघा पर काबिज होकर काश्त कर रही है जिस पर प्रतिवादी द्वारा क्रय तिथि से ही कब्जा चला आ रहा है. अतिरिक्त कथनों में अंकित किया गया कि वाद असत्य कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वादिया भली भांति जानती है कि प्रतिवादी सेख्या 6 द्वारा चक 5 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 27 के 1.265 हैक्टर एवं 0.253 हैक्टर पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 28 मार्च, 2013 एवं दिनांक 11 मई, 2012 द्वारा क्रय की गयी है. तथा प्रतिवादी संख्या 6 का चक 5 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 19 से 24 कुल 6.00 बीघा पर कब्जा चला आ रहा है. इस प्रकार चक 5 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 19 से 24 कुल 6.00 बीघा के लिये प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया गया. जवाब वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में सिंचाई विभाग द्वारा जारी पानी की पर्ची संख्या 7395, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 28 मार्च, 2012, पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 11 मई, 2012 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत किये गये.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 की ओर से जवाब वादपत्र हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण आदेश दिनांक 9 दिसम्बर, 2014 द्वारा अन्तिम अवसर तथा दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को पु नः न्यायहित में अन्तिम अवसर तथा दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा पुनः न्यायहित में अन्तिम अवसर दिये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 16 फरवरी, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादिया द्वारा कभी खेती नहीं की गयी व न ही लगान मामला का भुगतान ही किया गया है. गत 12 वर्षो से वादिया की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 का कब्जा चला आ रहा है जो कि वादिया की देखादेखी, जानकारी एवं खुल्लमखुल्ला चला आ रहा है. वादिया के खातेदारी अधिकार धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः ही समाप्त होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 में निहित हो चुके हैं. वादिया के नाम पर दर्ज कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 खातेदार, काश्तकारी एवं हकदार बन चुके हैं तथा वादिया का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है इसके लिये जवाब वादपत्र के साथ काउण्टर क्लेम पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है. वादिया खाता संख्या 43 की वर्तमान में सह खातेदार काश्तकार नही है. वादिया द्वारा कृषि भूमि को कभी काश्त नहीं किया गया है तथा वादिया जानती है कि यदि वह काश्त नहीं करती तो उसके हक समाप्त हो चुके हैं. वादिया को किसी भी प्रकार का वादकरण उपलब्ध नहीं है क्योंकि दिनांक 25 जनवरी, 2014 को अथवा अन्य किसी भी रोज उसके द्वारा विभाजन करवाने का कथन नहीं किया गया है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्री गंगापुर

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 की ओर से काउण्टर क्लेम अन्तर्गत आदेश 8 नियम 6 व्यवहार प्रकिया संहिता दिनांक 16 फरवरी, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चक 5 डी बड़ी के खाता संख्या 43/43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25 कुल 6.325 हैक्टर में से श्रीमती बालीबाई के नाम पर दर्ज 1.518 हैक्टर कृषि भूमि पर गत 12 वर्षो से वादिया की कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 का कब्जा चला आ रहा है जो कि वादिया की देखादेखी, जानकारी एवं खुल्लमखुल्ला चला आ रहा है. वादिया के खातेदारी अधिकार धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्वतः ही समाप्त होकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 में निहित हो चुके हैं. वादिया के नाम पर दर्ज कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 खातेदार, काश्तकारी एवं हकदार बन चुके हैं तथा वादिया का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 का नाम दर्ज किया

जाना आवश्यक है जिसके लिये मौखिक रूप से बार बार कहा गया किन्तु श्रीमती बालीबाई ने परवाह नहीं की. अतः यह काउण्टरक्लेम प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. इस प्रकार काउण्टक्लेम स्वीकार कर श्रीमती बालीबाई के नाम पर दर्ज कृषि भूमि के लिये काउण्टर क्लेमकर्ता के नाम पर बहिस्सा बराबर बराबर दर्ज करने का निवेदन किया गया.

वादिया की ओर से जवाब काउण्टरक्लेम दिनांक 13 अप्रेल, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43/43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25 में से 1.518 हैक्टर कृषि भूमि वादिया के नाम पर दर्ज है जिस पर श्री भंवरलाल व अन्य का कब्जा नहीं है. कृषि भूमि संयुक्त खाता की है तथा प्रतिकूल कब्जा का सिद्वान्त कतई लागू नहीं होता है न ही किसी सह खातेदार के विरूद्व किसी भी प्रकार से प्रतिकूल कब्जा के आधार पर कोई आदेश ही पारित किया जा सकता है एवं न ही संयुक्त खाता की कृषि भूमि की बाबत धारा 63(4) राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं. अतः काउण्टरक्लेम निरस्त किये जाने योग्य है. प्रतिवादीगण द्वारा वादिया से कभी भी खातेदारी की बाबत कोई आग्रह नही किया गया व न ही इन्कारी की कोई तिथि ही दर्ज की गयी है काउण्टर क्लेम के समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत नही कया गया है जबकि काउण्टरक्लेम वादपत्र की परिभाषा में आता है तथा आदेश 6 नियम 15 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत शपथपत्र प्रस्तुत किये जाना आवश्यक है. इस प्रकार काउण्टर क्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर आवेदनपत्र दिनांक 10 मार्च, 2015 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन प्रकरण में किसी सम्मन अथवा नोटिस की तामील प्रतिवादी संख्या 4 पर किसी भी प्रकार से विधिवत तौर पर नहीं हुई उसको अपने भाई श्री भंवरलाल से मिलने पर 5 रोज पूर्व पता चला कि वादिया द्वारा उक्त शीर्षक का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं विचाराधीन है. जिसमें आगामी तिथि 09 मार्च, 2015 निश्चित है. जिसे आवेदिका प्रतिवादी संख्या 4 है. इस पर आवेदिका को श्रीगंगानगर आकर पता करने पर उक्त तथ्यों की पुष्टि होने पर कानूनी राय लेने पर पता चला कि मा. न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश जारी किये गये हैं. जिसके विरूद्व निम्नलिखित आधार पर आवेदनपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है. उक्त शीर्षक के प्रकरा में सम्मान अथवा नोटिस मय नकल लंकर आवेदिका के पास कभी कोई सवार नहीं आया. न ही टेण्डर किया व न ही आवेदिका द्वारा लेने से इन्कार किया गया व न ही मेरे मकान आबाद पर कभी चस्पा किया गया. आवेदिका के पास कभी पोस्टमैन रजिस्ट्री लिफाफा मय सम्मन लेकर नहीं आया न ही टेण्डर किया गया व न

ही आवेदिका द्वारा लेने से इन्कार किया गया. न ही मेरे सामने किसी गवाह से सवार अथवा पोस्टमैन ने गवाही करवायी गयी. इस प्रकार किसी सम्मन अथवा नोटिस की विधिवत तामील ही करवायी गयी है अतः एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त कर आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे आवेदिका अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रख सके तथा उसके साथ न्याय हो सके. आवेदिका जिस पता पर निवास करती है उस पता पर कोई सम्मन अथवा नोटिस जारी ही नहीं किया गया अतः तामील होने का प्रश्न नहीं है. प्रकरण अभी प्रारम्भिक स्तर पर है किसी की कोई साक्ष्य नहीं हुई है. तथा एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त करने से किसी पक्षकार को कोई नुकसान नहीं हो सकता. इस प्रकार एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 23 मई, 2014 अपास्त कर प्रतिवादी संख्या 4 को जवाबदेही का अवसर दिये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर वादिया अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 13 अप्रेल, 2015 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 को जवाब वादपत्र प्रस्तुत करने हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब वादपत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2015 द्वारा अन्तिम अवसर दिये जाने पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 20 अगस्त, 2015 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि को काफी अर्सा से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 एवं 6 काश्त कर रहे हैं. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया –

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

1. क्या चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादिया संख्या 1 से 4 के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादिया संख्या 5 के नाम पर 1.645 हैक्टर एवं प्रतिवादिया संख्या 6 के नाम पर 1.518 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है? ....वादिया

2. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से वादिया अपने नाम पर दर्ज 1.581 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है? ...वादिया

3. क्या प्रतिवादिया संख्या 6 अपनी क्रयशुदा कृषि भूमि चक 5 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 19 से 24 कुल 6.00 बीघा पर क्रय तिथि से ही काबिज होकर काश्त कर रही है? तथा विभाजन में अपने कब्जा की

कृषि भूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

...प्रतिवादिया–6

4. क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से वादिया के नाम पर दर्ज 1.581 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रतिवादिया संख्या 1 से 3 एवं 5 प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है? ..प्रतिवादिया– 1 से 3,5

5. अनुतोष?

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादिया हेतु श्रीमती बालीबाई आत्मजा श्री देवाराम द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया.

वादिया की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 16 मार्च, 2016 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 श्री भंवरलाल द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि श्रीमती किरण धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश, नायक, दुल्लापुरकेरी को विक्रय कर दिया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा अपने हिस्सा में से 0.253 हैक्टर कृषि भूमि श्री श्यामलाल आत्मज श्री नत्थूराम को विक्रय कर दी गयी है. आवेदिका श्रीमती किरण एवं श्री श्यामलाल को वादपत्र में पक्षकार संयोजित करना चाहती है. इस प्रकार क्रेता श्रीमती किरण एवं श्री श्यामलाल को पक्षकार संयोजित करने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रति सलंग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादीगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 30 मार्च, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादिया द्वारा आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में न तो कोई शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है व न ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य ही प्रस्तुत किया गया है. विधि अनुसार आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसार जो व्यक्ति पक्षकार बनना चाहता है वही, आवेदनपत्र प्रस्तुत कर सकता है. वादिया द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन आवेदनपत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. जिन लोगों को पक्षकार बनाये जाने का कथन किया गया है उनके द्वारा स्वयं उपस्थित आकर विक्रय विलेख प्रस्तत कर पक्षकार बनाये जाने का कोई कथन नहीं किया गया. प्रकरण साक्ष्य के स्तर पर है तथा इस स्तर पर विचाराधीन आवेदनपत्र पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया. तदोपरान्त, प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र पर अनापत्ति हस्ताक्षरित करने पर आदेश दिनांक 9 अगस्त, 2016 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमती किरण एवं श्री श्यामलाल को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 स्थापित किया गया. यथा संशोधित वाद शीर्षक प्रस्तुत किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

साक्षी वादिया द्वारा उपस्थित आने पर दिनांक 15 फरवरी, 2017 को जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य वादिया प्रस्तुत नहीं करने के कथन हस्ताक्षरित करने के कारण साक्ष्य वादिया पूर्ण की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री खेमाराम एवं श्रीमती खेमीदेवी द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये.

अधिवक्ता वादिया द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गयी एवं अन्य अधिवक्तागण एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

> विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर 1. 581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर 1.645 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर 1.518 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है? **....वादिया**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072(प्रदर्श–1) के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43/43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर 1.645 हैक्टर एवं प्रतिवादीा संख्या 6 के नाम पर 1.518 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादिया के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

> विवाद्यक संख्या 2 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से वादिया अपने नाम पर दर्ज 1.581 हैक्टर कृषि भूमि का विभाजन करवाने का अधिकारी है? **...वादिया**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072(प्रदर्श–1) के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43/43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर निर्विवाद दर्ज है जिसके लिये वादिया विभाजन करवाने की अधिकारिणी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादिया के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

> विवाद्यक संख्या 3 – क्या प्रतिवादी संख्या 6 अपनी कयशुदा कृषि भूमि चक 5 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 19 से 24 कुल 6.00 बीघा पर कय तिथि से ही काबिज होकर काश्त कर रही है?तथा विभाजन में अपने कब्जा की कृषिभूमि प्राप्त करने की अधिकारिणी है? **...प्रतिवादी–6**

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072(प्रदर्श–1) के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43/43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर 1.518 हैक्टर दर्ज है जिसे लिये प्रतिवादी संख्या 6 विभाजन करवाने की अधिकारिणी है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या प्रश्नगत कृषि भूमि में से वादिया के नाम पर दर्ज 1.581 हैक्टर कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है?

..प्रतिवादिया– 1 से 3,5

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072(प्रदर्श–1) के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43/43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर निर्विवाद दर्ज है. प्रथमताः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अतिचार के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने का कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार अव्यस्क अथवा विधवा महिला की खातेदारी कृषि भूमि पर किसी को भी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी हेतु प्रस्तुत वाद/काउण्टरक्लेम किसी भी न्यायिक दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है. अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यकों के विनिश्चिय के अनुसार चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर 1.645 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर 1.518 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है. जिसके अनुसार ही वादिया के साथ साथ अन्य सह खातेदार संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है. तथा चक 5 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 25(6.325) में से वादिया के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के नाम पर 1.581 हैक्टर, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर 1.645 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर 1.518 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है. जिसके अनुसार ही आदेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 द्वारा वादिया के साथ साथ अन्य सह खातेदार संयुक्त खाता की कृषि भूमि का विभाजन करवाने के

अधिकारी घोषित किये गये. तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जारी विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 3963 दिनोंक 25 मई, 2018, राजस्व पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक, शिवपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आशिंक मानचित्र एवं चक 5 डी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी.

प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर वादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित की गयी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं 5 की ओर से आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार वादिया द्वारा विचाराधीन वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए एवं धारा 53 राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं विभाजन का अनुतोष चाहा गया है. वादपत्र में प्रारम्भिक डिकी पारित करते समय वादिया को 1.581 हैक्टर का खातेदार घोषित करने के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को भी 1.581 हैक्टर एवं प्रतिवादी संख्या 5 को 1.645 हैक्टर का खातेदारी घोषित करते हुऐ विभाजन करवाने का अधिकारी घोषित किया गया है. किन्तु विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार के लिये आदेश में कुछ भी अंकित नही किया गया व न ही विभाजन प्रस्ताव मंगवाया ही गया है जबकि विभाजन की डिकी के लिये था तथा मा. न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादीगण को विभाजन करवाने का अधिकारी घोषित किया गया है. ऐसी स्थिति में, पत्रावली पेशी में ली जाकर विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिये तहसीलदार को लिखा जाना आवश्यक है. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार प्रतिवादी सख्या 7 के रूप में पूर्व से ही प्रतिपक्षकार है. इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिये तहसीलदार को लिखे जाने के आदेश फरमायें जाने का निवेदन किया गया ताकि पृथक से वाद लाने की अपेक्षा इसी वाद का उदृेश्य पूर्ण हो सके.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादिया की ओर से जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली के अनुसार इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 में आदेश की एक प्रति तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को राजस्थान टीनेन्सी(राजस्व मण्डल) नियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव हेतु प्रेषित हो, स्पष्ट अंकित किया गया है जिसके परिदृश्य ही, तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जारी विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 3963 दिनोंक 25 मई, 2018, राजस्व पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक, शिवपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आशिंक मानचित्र एवं चक 5 डी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 की प्रमाणित प्रति

प्रस्तुत की गयी है, ऐसी स्पष्ट परिस्थिति में, आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है.

अतः तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जारी विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 3963 दिनांक 25 मई, 2018, राजस्व पटवारी एवं भू. अ.निरीक्षक, शिवपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, आशिंक मानचित्र एवं चक 5 डी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072 के अनुसार वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादिया श्रीमती बालीबाई को – चक 5 डी बड़ी के खाता संख्या 43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 6 से 9 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 10/1(0.228), किला नम्बर 12(0.214) एवं किला नम्बर 13(0.127) हैक्टर कुल 1.581 हैक्टर कृषि भूमि, प्रतिवादी श्री सोहनलाल, श्री रामचन्द्र आत्मजन श्री देवाराम 0.855 हैक्टर, श्रीमती सीता आत्मजा श्री टोपनराम 0.079 हैक्टर, श्री लक्षमणराम आत्मज श्री देवाराम 1.581 हैक्टर, श्रीमती खेमीदेवी धर्मपत्नी खेमाराम 1.581 हैक्टर, श्रीमती किरण धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश 0.395 हैक्टर, श्री श्यामलाल आत्मज श्री नत्थूराम 0.253 हैक्टर को संयुक्त रूप से चक नम्बर 5 डी बड़ी के खाता संख्या 43 मुरब्बा नम्बर 27 किला नम्बर 1 से 5 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 10/2(0.025), किला नम्बर 11(0.253), किला नम्बर 12(0.039) हैक्टर, किला नम्बर 13(0.126) एवं किला नम्बर 14 से 25 कुल 4.744 हैक्टर कृषि भूमि विभाजित की जाती है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा अन्तिम डिक्री जारी हो.

निर्णय खुले न्यायालय में अधिवक्तागण की उपस्थिति में आज दिनांक 6 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.